

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ० साधना शर्मा, आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या- 03/2019

उनवान:-

1. मुश्ताक उम्र करीब 48 वर्ष
2. पप्पू उम्र करीब 46 वर्ष

पुत्रगण बाबू जातिगण मुसलमान निवासीगण पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर

----- वादीगण

बनाम

1. शहजाद पुत्र बाबू ।
2. बन्दू पुत्र बाबू । जातिगण मुसलमान निवासीगण पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर
3. पप्पू पुत्र चाँदू खा ।
4. शराफत उर्फ बल्ले पुत्र ल्याकत जाति मुसलमान निवासी कच्ची कुई पुराना शहर धौलपुर
5. राज० राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर
6. दिनेश शर्मा पुत्र श्री कालीचरन शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर

----- प्रतिवादीगण


बाद वास्ते बंटवारा काश्त स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री मौ०मजीद खान एडवोकेट वादीगण की ओर से
श्री इकराम खान एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से

दिनांक 21.10.2024

निर्णय

वादी की ओर से प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57 कुल किता 07 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किये जाने व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया। दावा वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दिनांक 20.08.2024 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किये जाने के आदेश दिए गए तथा तहसीलदार धौलपुर से विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गए। तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किए। विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार धौलपुर द्वारा ख.नं. 53 रकवा 0.1012 है० किस्म चा.अ. तथा ख.नं. 54 रकवा 0.0253 है० किस्म वा०दो० पप्पू खां पुत्र चांदू खां



उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)


हि०पूर्ण जाति मुसलमान सा०पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर खातेदार, ख.नं. 45 रकवा 0.0759 है. वा.दो., ख.नं. 46 रकवा 0.1265 है० वा.दो., ख.नं. 55 रकवा 0.0379 है० वा.दो., ख.नं. 56 रकवा 0.0506 है० वा.दो. ख.नं. 57 रकवा 0.0379 है० वा.दो. दिनेश शर्मा पुत्र कालीचरन शर्मा हि० 1265/1644 जाति ब्राम्हण सा०पुरानी छावनी, पप्पू खां पुत्र बाबू हि० 21/548 बन्दू पुत्र बाबू हि० 253/1644 मुस्ताक पुत्र बाबू हि० 21/548 जातिगण मुसलमान सा० पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर खातेदार प्रस्तावित किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया। विभाजन प्रस्ताव व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अतः हम दावा वादी वकील उभयपक्ष की सहमति से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ख.नं. 53 रकवा 0.1012 है० किस्म चा. अ. तथा ख.नं. 54 रकवा 0.0253 है० किस्म वा०दो० कुल किता 02 रकवा 0.1265 है० का पप्पू खां पुत्र चांदू खां हि०पूर्ण जाति मुसलमान सा०पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर खातेदार, ख. नं. 45 रकवा 0.0759 है. किस्म वा.दो., ख.नं. 46 रकवा 0.1265 है० किस्म वा.दो., ख.नं. 55 रकवा 0.0379 है० किस्म वा.दो., ख.नं. 56 रकवा 0.0506 है० किस्म वा.दो. तथा ख.नं. 57 रकवा 0.0379 है० किस्म वा.दो. कुल किता 05 रकवा 0.3288 है० का दिनेश शर्मा पुत्र कालीचरन शर्मा हि० 1265/1644 जाति ब्राम्हण सा०पुरानी छावनी, पप्पू खां पुत्र बाबू हि० 21/548 बन्दू पुत्र बाबू हि० 253/1644 मुस्ताक पुत्र बाबू हि० 21/548 जातिगण मुसलमान सा० पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एवं लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैशल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
धौलपुर (राज०)